A 6/1

# कार्यालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी– श्री अमानुल्लाह खान
आर.ए.एस.

| मिसल संख्या | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 44 / प्रा.पत्र / 2020 | 24.08.2020 | 06.01.2021 |

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी –प्रार्थी

–बनाम–

1. श्री मनीष जैन पुत्र श्री कमलेश जैन, विक्रेता एवं मालिक मैसर्स अग्रवाल किराना स्टोर, माताजी रोड, इन्द्रगढ, जिला बून्दी। निवासी–ठाकुरों का मौहल्ला, इन्द्रगढ जिला बून्दी।
2. श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन, मालिक मैसर्स अक्षत कुमार आयुष कुमार, मैन रोड, सुमेरगंजमण्डी, जिला बून्दी। निवासी–राज0उच्च माध्य0 विधालय के पास, सुमेरगंजमण्डी जिला बून्दी।
3. श्री महेश कुमार मेघानी, मालिक मैसर्स शिवम ट्रेडर्स, 2 जी ए 5, टीचर्स कॉलोनी, मीरा मार्केट, केशवपुरा, कोटा–324008 (राजस्थान)। –अप्रार्थी

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से– श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
अप्रार्थी 1, 2 व 3 स्वयं उपस्थित है।

## –: निर्णय :–

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना–पत्र में निम्नांकित बिन्दु अंकित किये है:–

1. मैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 26.07.2011 एवं कमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 470 दिनांक 09.08.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 775 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, जिला बून्दी आंवटित किया गया है और अधिसूचना कमांक एफएसएसए / नोटिफिकेशन / 2011 / 496 दिनांक 11.03.2012 के अनुसार बून्दी जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है।
2. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.10.2019 को समय 1:30 पी.एम. पर नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु इन्द्रगढ, स्थित फर्म अग्रवाल किराना स्टोर पर पहुंचा। वहां पर श्री मनीष जैन पुत्र श्री कमलेश जैन, विक्रेता एवं फर्म के मालिक की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

A 6/2

हैसियत से उपस्थित थे। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जिसके उल्लेख मौका फर्द में हैं।

3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि अन्य खाद्य पदार्थ सहित फर्म पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ मुंगफली तेल, ब्राण्ड–रिद्वी सिद्वी, प्लॉ0 बोटल पैकिंग प्रत्येक 1 लीटर के 20 नग में उपलब्ध था। उक्त खाद्य पदार्थ मुंगफली तेल, ब्राण्ड–रिद्वी सिद्वी में मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर अभियुक्त को फार्म नं. 05ए पर नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना देते हुये, प्ला0 बोटल पैकिंग सहित ही 4 नग (प्रत्येक 1 ली0) वास्ते जांच खरीदे। जिसकी कीमत विक्रेता को रू. 500/– नगद देकर रसीद प्राप्त की।

4. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मुंगफली तेल, ब्राण्ड–रिद्वी सिद्वी के 4 नगों को प्ला0 बोटल पैकिंग सहित ही चार–चार बराबर भागों में (प्रत्येक भाग में एक) विभाजित किया। प्रत्येक भाग पर निर्धारित लेबल लगाये और लेबलों पर खाद्य पदार्थों का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक यू–1361 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बून्दी डॉ गोकुल लाल मीणा द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. यू–1361 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार–चार जगह नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहों एवं उन्होनें चारों नमूना भागों पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहों ने हस्ताक्षर किये एवं मैंने भी हस्ताक्षर किये।

5. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं.–6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

6. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/303–305 दिनांक 14.11.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 455/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2019/510 दिनांक 24.10.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया मुंगफली तेल, ब्राण्ड–रिद्वी सिद्वी, मिसब्राण्ड (Misbranded) पाया गया।

7. मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही के तहत खाद्य पदार्थ मुंगफली तेल, ब्राण्ड–रिद्वी सिद्वी, मैसर्स अग्रवाल किराना स्टोर, माताजी रोड, इन्द्रगढ, द्वारा मैसर्स

A 6/3

अक्षत कुमार आयुष कुमार, मैन रोड, सुमेरगंजमण्डी, से बिल संख्या 4273 दिनांक 03.07.2019 द्वारा क्रय करना बताया एवं खरीद बिल की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपी प्रस्तुत की। मैसर्स अक्षत कुमार आयुष कुमार, मैन रोड, सुमेरगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त फर्म के मालिक श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन, निवासी–राज0उच्च माध्य0 विधालय के पास, सुमेरगंजमण्डी जिला बून्दी है। अतः इस प्रकरण में श्री महावीर प्रसाद जैन, मालिक मैसर्स अक्षत आयुष कुमार, मैन रोड, सुमेरगंजमण्डी को भी पक्षकार बनाया गया है तथा मैसर्स अक्षत कुमार आयुष, मैन रोड, सुमेरगंजमण्डी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ मुंगफली तेल, ब्राण्ड–रिद्वी सिद्वी, मैसर्स शिवम ट्रेडर्स, 2 जी ए 5, टीचर्स कॉलोनी, मीरा मार्केट, केशवपुरा, कोटा–324008 (राजस्थान) से बिल संख्या 0000271 दिनांक 25.05.2019 द्वारा क्रय करना बताया एवं खरीद बिल की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपी प्रस्तुत की है। मैसर्स शिवम ट्रेडर्स, 2 जी ए 5, टीचर्स कॉलोनी, मीरा मार्केट, केशवपुरा, कोटा–324008 (राजस्थान) से फर्म के खाद्य लाईसेन्स, खरीद बिल एवं मालिक/भागीदारों की जानकारी बाबत बार–बार पत्र व्यवहार करने पर भी उनके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। उक्त संबंध में श्रीमान जिला अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा द्वारा फर्म शिवम ट्रेडर्स, 2 जी ए 5, टीचर्स कॉलोनी, मीरा मार्केट, केशवपुरा, कोटा–324008 के खाद्य लाईसेन्स एवं मालिक भागीदारों की जानकारी भिजवायी गयी जिसके अनुसार फर्म के मालिक/लाईसेन्स धारक श्री महेश कुमार मेघानी है। अतः इस प्रकरण में श्री महेश कुमार मेघानी, मालिक मैसर्स शिवम ट्रेडर्स, 2 जी ए 5, टीचर्स कॉलोनी, मीरा मार्केट, केशवपुरा, कोटा–324008 (राजस्थान) को ही आगामी खरीद बिल पेश नहीं के कारण अंतिम पक्षकार बनाया गया है। उक्त फर्म खाद्य पदार्थ मुंगफली तेल, ब्राण्ड–रिद्वी सिद्वी, की विपणनकर्ता फर्म है।

8. मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही कर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को पत्रावली अभियोजन मंजूरी के लिये अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/143 दिनांक 24.08.2020 के द्वारा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ मुंगफली तेल, ब्राण्ड–रिद्वी सिद्वी का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर, धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित किया जावे।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा दिनांक 06.01.2021 को जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थी फर्म व निर्माताकर्ता के बीच यह एग्रीमेन्ट है कि जो भी माल निर्माता कम्पनी पेक्ड माल भेजेगी उसे प्रार्थी उसी अवस्था में विक्रय करेगा यानी प्रार्थी का काम ट्रेडिंग व मार्केटिंग का है। मिसब्राण्ड के बाबत जो भी दायित्व है वह निर्माता कम्पनी का है। प्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 व उपधारा 2(2) व (5) के तहत कोई उल्लंघन नहीं किया है व ऐसी स्थिती में प्रार्थी किसी भी रूप में मिसब्रान्डेड व अन्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उत्तरदायी नहीं है।

बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण समाअत की गई।

प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी अपने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ मुंगफली तेल, ब्राण्ड–रिद्वी सिद्वी का

A6/4

निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन/लाईसेन्स के खाद्य पदार्थ विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत न कर सीधे ही बहस में निवेदन किया गया कि अप्रार्थी एक छोटा व्यापारी है जो फर्म द्वारा निर्मित मुंगफली तेल, ब्राण्ड–रिद्वी सिद्वी क्रय करता है। मुंगफली तेल, ब्राण्ड–रिद्वी सिद्वी में किसी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गई जिससे मानव जीवन पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पडता। जांच हेतु संग्रहित नमूना मुंगफली तेल, ब्राण्ड–रिद्वी सिद्वी अवधि पार नहीं है। इस आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर प्रकरण का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करे।

अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 व उपधारा 2(2) व (5) के तहत कोई उल्लंघन नहीं किया है व ऐसी स्थिती में प्रार्थी किसी भी रूप में मिसब्रान्डेड व अन्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उत्तरदायी नहीं है। इस आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर प्रकरण का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करे।

हमने पत्रावली व उसके साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस प्रार्थी व अप्रार्थी पर मनन किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेजात निर्धारित प्रपत्र में व समय अवधि में नियमानुसार है। अप्रार्थी श्री मनीष जैन के प्रतिष्ठान से प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना मुंगफली तेल, ब्राण्ड–रिद्वी सिद्वी खाद्य विश्लेषक, कोटा की जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड घोषित किया गया है। अप्रार्थी श्री मनीष जैन ने अपने प्रतिष्ठान पर मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ मुंगफली तेल, ब्राण्ड–रिद्वी सिद्वी का खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ का भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर आम जनता को विक्रय कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रहा है जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है। अप्रार्थी श्री महावीर प्रसाद जैन द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ मुंगफली तेल, ब्राण्ड–रिद्वी सिद्वी की आपूर्ति की गई है। जिसके लिए अप्रार्थी संख्या 2 दोषी है। श्री महेश कुमार मेघानी अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ मुंगफली तेल, ब्राण्ड–रिद्वी सिद्वी की आपूर्ति की गई है। जिसके लिए अप्रार्थी संख्या 3 दोषी है। अतः अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 का कृत्य दोषसिद्व होने से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 को 10,000/– (अक्षरे–दस हजार रूपये), अप्रार्थी संख्या 2 को 20,000/– (अक्षरे–बीस हजार रूपये) एवं अप्रार्थी संख्या 3 को 20,000/– (अक्षरे–बीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)